प्रकरण संख्या 28/2021 श्रीमती वरजू देवी व अन्य बनाम सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बोखाडा की आराजी नंबर 1557 रकबा 0.2250 भूमि बाबत् उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के आदेश दिनांक 11.02.2013 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 06.10.2021 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने हेतु कई तलबी पत्र एवं डी.ओ. लेटर अधिनस्थ न्यायालय को लिखे जाने के बावजूद आदिनांक तक अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई तथा न ही अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलान्टगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। फिर भी प्रकरण के निस्तारण हेतु अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काफी समय से चला आ रहा है तथा उनके द्वारा पेनाल्टी की राशि जमा करायी गयी है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उन्हें बिना सुने उक्त आदेश पारित कर दिया है, जिससे अपीलान्टगण के हक प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब राजकीय अभिभाषक देते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी सरकारी भूमि है, जिससे अपीलान्ट का कोई संबंध नहीं है। अतः अपीलान्ट प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपील मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में विवादित आराजी नंबर 1557 रकबा 0.2250 हैक्टर भूमिधारक के कॉलम में राज्य सरकार दर्ज है तथा काश्तकार के कॉलम में [illegible] ग्राम पंचायत बोखाडा दर्ज है, जिससे अपीलान्टगण का किसी [illegible] का संबंध होना प्रकट नहीं होता है। अपीलान्टगण का [illegible] है भी तो वह	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:16 IST
Reason: Self Attested

अतिक्रमी के रूप में है और अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से हम अपीलान्टगण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं पाते है। तद्नुसार अपीलान्टगण आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपीलान्ट आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपीलान्टगण का धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.02.2013 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:16 IST
Reason: SelfAttested